की पेंशन में हाल ही में कोई वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं उन पर लागू संगत नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। ये नियम भारत संघ के किसी राज्य विशेष में आवास होने के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सम्बन्धित कर्मचारियों पर समान रूप में लागू होते हैं। चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश में रह रहे पेंशनभोगियों सहित, केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन को 1-1-1986 से संशोधित कर दिया गया था। तब से औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 608 से अधिक मूल्य वृद्धि हो जाने पर उन्हें 1-7-1986, 1-1-1987, 1-7-1987, 1-1-1988 तथा 1-7-1988 से मंहगाई राहत की पांच किश्तें मंजूर की जा चुकी हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के उन सिविलियन कर्मचारियों को, जो अपनी सेवा के दौरान केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की सुविधा के पात्र होते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी, इन सुविधाओं के लिए पात्र बना दिया गया है। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों/सशस्त्र सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधाएं उन मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई योजनाओं/नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया अनुसंधान

3182. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्षों से मलेरिया, यकृत शोथ इत्यादि जैसी विभिन्न बीमारियों के लिए कई सफल इलाज निकाले हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन अनुसंधान के निष्कर्षों का विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अधीन बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद संहिता-बद्ध औषधों तथा शास्त्रोक्त औषधों से विभिन्न रोगों का नैदानिक अनुसंधान कर रही है। इस परिषद ने मलेरिया के उपचार के लिए आयुष-64 तथा उपस्मार के उपचार के लिए आयुष-56 विकसित की है तथा उसे एकस्व अधिकार (पेटेंट) दिया गया है। यकृत-शोथ के लिए आरोग्यवर्द्धिनी तथा कटकी, मधुमेह के लिए आयुष-82 आदि की क्लीनिकल जांच चल रही है।

(ख) परिषद के अनुसंधान निष्कर्षों को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अभी व्यापक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। बहरहाल, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जून, 1987 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि वे मलेरिया-रोधी औषध के रूप में आयुष-64 की उपयोगिता चिकित्सा व्यवसाय तथा राज्य के सभी अस्पतालों और औषधालयों के ध्यान में लाएं।